

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹ 100



भारत INDIA
DIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GN 271262

S No 1172

राज्य पत्र
प्रकार-"अ"

हम संतोष कुमार सिंह एवं विद्यावती देवी कन्या: अश्वला एवं ललित सिंह एचयुकेनमल सोसायटी, भदवर, काशीपुर वाराणसी राज्यपूर्वक विभाजित किया करते है-

1. यह कि हमारी सोसायटी द्वारा एस.बी.इन्टीर्यूट ऑफ फार्मसी, देलहना, काशीपुर वाराणसी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

यह कि हमारी सोसायटी के नाम देलहना काशीपुर वाराणसी में मात संख्या 736, 737, 738 एवं 739 रकबा कन्या: 0.203, 0.242, 0.236 एवं 0.139 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.820 हेक्टेयर) भूमि है।

इस कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी दाद किसी भी न्यायालय में बही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।


विद्यावती देवी

संतोष कुमार सिंह

M. P. Singh



4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपरोक्त भूमि के माफ संख्या 736, 737 एवं 738 तथा कतल: 0.203, 0.242 एवं 0.236 हेक्टेयर (कुल तथा 0.681 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी की संस्था के विद्ये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक _____ द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तुत डिप्लोमा फार्मेसी संस्था के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित करने के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं विद्यमान भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष विरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्था का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद 3090 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्था/विद्यालय/ महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक कक्षाएं कम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली




R.P. Singh

सोनील कुमार सिंह

एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैयारी सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली-भांति पालन करना, यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय विरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की विरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



हस्ताक्षर सचिव

विद्यालयाधीन

संजीव कुमार सिंह
हस्ताक्षर अध्यक्ष

21 2013 असाक्षर

R.P. Singh
01.03.2013

R.P. Singh

R. P. SINGH
NOTARY OF INDIA
R.P. SINGH

Executant's Signature
Identified By.....

Self